न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 90/2019

सरकार बनाम 1. जोगसिंह, लालसिंह, वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांकः–.24 .12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम **पौशाल नगर** के मूल खसरा नं 661 है वर्तमान में इसकें विभाजित खसरा न. 1803/661, 1802/661, 1799/661, 1801/661, 1800/661 है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी अनुसार स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम 1 से 6 अनुसार है। वर्तमान लट्ठा ट्रेस में बट्टा नम्बर की तरमीम नहीं की हुई है। मौके पर मूल खसरा 661 की तरमीम बटटा अनुसार संभव नहीं है। अतः संलग्न अतः परिशिष्ट 'अ' के कालम 1 से 6 अनुसार खसरे व खाते का एकीकरण करने का आदेश का निवेदन किया ।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रेकर्ड में हुई किसी अशुद्वि को शुद्व करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .24.12.2019 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner